इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 582] भोपाल, बुधवार, दिनांक 2 नवम्बर 2022—कार्तिक 11, शक 1944

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 नवम्बर 2022

क्र. एफ ए 3-34-2018-1-पांच (66).—राज्य सरकार, राजस्व संग्रहण में योगदान हेतु मालों की खरीदी अथवा माल और सेवाओं की प्राप्ति के लिए क्रेताओं/उपभोक्ताओं को प्राप्त होने वाले बिल/बीजकों के संग्रहण एवं पुरस्कार हेतु लागू **''मध्यप्रदेश बिल संग्रहण एवं पुरस्कार योजना, 2018''** के संबंध में जारी अधिसूचना क्र. एफ-ए-3-34-2018-1-पांच (92) द्वारा दिनांक 1 अक्टूबर 2018 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना के—

1. पैरा 4 के खण्ड-9 के स्थान पर निम्न खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा:—

''(9) इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक 6 माह में संग्रहित हुए बिल/बीजकों को 4 श्रेणियों में विभक्त किया जायेगा. श्रेणियां निम्नानुसार होंगी:—

प्रथम श्रेणी	—	बिल की राशि रु. 200/- से 20,000/- तक होने पर.
द्वितीय श्रेणी	—	बिल की राशि रु. 20,001/- से 50,000/- तक होने पर.
तृतीय श्रेणी	—	बिल की राशि रु. 50,001/- से 1,00,000/- तक होने पर.
चतुर्थ श्रेणी	—	बिल की राशि रु. 1,00,000/- से अधिक होने पर.

इन चारों श्रेणियों में से प्रत्येक में 3 क्रेताओं का चयन पुरस्कार हेतु किया जायेगा.''

2. पैरा 6 के स्थान पर निम्न पैरा प्रतिस्थापित किया जायेगा:—

''इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक 6 माह में कुल 12 क्रेताओं/उपभोक्ताओं का कम्प्यूटराईज्ड लॉटरी सिस्टम से निम्नानुसार निर्धारण किया जाएगा:—

1. पैरा 4 के खण्ड 9 में वर्णित प्रथम श्रेणी में चयनित 3 क्रेताओं को उनकी बिल राशि का 25 प्रतिशत पुरस्कार हेतु देय होगा.

2. पैरा 4 के खण्ड 9 में वर्णित द्वितीय श्रेणी में चयनित 3 क्रेताओं को उनकी बिल राशि का 20 प्रतिशत पुरस्कार हेतु देय होगा.

3. पैरा 4 के खण्ड 9 में वर्णित तृतीय श्रेणी में चयनित 3 क्रेताओं को उनकी बिल राशि का 15 प्रतिशत पुरस्कार हेतु देय होगा.

4. पैरा 4 के खण्ड 9 में वर्णित चतुर्थ श्रेणी में चयनित 3 क्रेताओं को उनकी बिल राशि का 10 प्रतिशत अथवा रु. 20,000/- (जो भी कम हो) पुरस्कार हेतु देय होगा.''

पुरस्कार की राशि चयनित क्रेता/उपभोक्ता के द्वारा बताए गए बैंक खाते में हस्तांतरित की जावेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2022.